उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

पंजीकृत संख्या : 75-4/II-A/359, 14 नवम्बर 1962

प्रधान कार्यालय : आलमबाग, रोडवेज बस स्टेशन के सामने, (सुजानपुरा) ओम नगर, आलमबाग, लखनऊ

रविन्द्र नाथ त्रिपाठी
प्रदेश अध्यक्ष
सम्पर्क ☎ : 0551-2241716, मो0: 9415548535
पत्राचार : मो0 तिवारीपुर, निकट गायत्री मन्दिर, गोरखपुर

अवधेश सिंह चौहान
प्रदेश महामन्त्री
सम्पर्क ☎ : 05872-252057, मो0: 9415172656
पत्राचार : डी.सी. रोड, मो0 सिकटिहा, लखीमपुर-खीरी

* उपाध्यक्ष गण *

हरदेव शर्मा
(पश्चिमी जोन)
मो. 09412869499

राजेन्द्र सिंह कछवाह
(मध्य जोन)
मो. 09450223683

पुट्टी लाल यादव
(पूर्वी जोन)
मो. 09450088433

* कोषाध्यक्ष *

अमलेश कुमार शर्मा
मो. 09837062257

* संगठन मंत्री गण *

कृष्ण कुमार सिंह
(पश्चिमी जोन)
मो. 09058499749

सुशील कुमार श्रीवास्तव
(मध्य जोन)
मो. 09415525914

इफ्तखार अहमद
(पूर्वी जोन)
मो. 09450548706

* आडीटर *

राज किशोर अवस्थी
मो. 09936642639

पत्रांक :

दिनांक 01.03.14.....

सेवा में,

मा0 अध्यक्ष महोदय,
राजस्व परिषद, लखनऊ

विषयः— प्रदेश में राजस्व निरीक्षक के रिक्त लगभग 800 पदों पर राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवानियमावली 2011 में विहित व्यवस्थानुसार लेखपाल संवर्ग से पदोन्नति करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि प्रदेश में राजस्व निरीक्षक के 1326 पद वर्तमान समय में सृजित है, जिसमें से लगभग 800 पद रिक्त चल रहे हैं, जिसके कारण कार्य सरकार की गुणवत्ता के साथ-साथ जनता के कार्यों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। मृतक खातेदारों की वरासत एवं धारा 41 के अन्तर्गत सीमांकन प्रक्रिया में राजस्व निरीक्षक की अहम भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त लेखपालों के कार्यों का पर्यवेक्षण आदि का दायित्व भी राजस्व निरीक्षक का ही होता है। जनहित गारंटी योजना के अन्तर्गत आय, जाति, निवास के प्रमाण पत्रों को समय से निर्गत होने हेतु भी राजस्व निरीक्षक की अहम् भूमिका प्रदर्शित होती है। मा0 परिषद स्तर से चयन की प्रक्रिया लगभग एक वर्ष से चल रही है जो अभी तक अन्तिम रूप में परिणित नहीं हो सकी है।

उल्लेखनीय है कि किसी भी कर्मचारी को यदि समय से प्रोन्नति नहीं मिलती है तो उसकी कार्य शैली पर विपरीत प्रभाव पड़ने के साथ-साथ मानसिक कुण्ठा से ग्रसित होना स्वाभाविक है। वैसे भी प्रोन्नति की वर्तमान व्यवस्थानुसार मात्र 7 प्रतिशत पदोन्नति ही लेखपालों को मिल पाती है। शेष 93 प्रतिशत अपने मूल पद लेखपाल से ही सेवानिवृत्त हो जाते है। नियमित समय से चयन के अभाव में पदोन्नति उस सयम मिलती है जब लेखपाल के सेवानिवृत्त के कुछ माह अथवा दिन ही शेष होते है।

उल्लेनीय है कि वर्ष 1994 से निरन्तर राजस्व निरीक्षक पदों पर पदोन्नति व्यवस्था में मा0 परिषद स्तर से प्रभावी गतिशील कार्यवाही न करके अपितु कच्छप गति से कार्यवाही किये जाने के कारण संवर्ग के सदस्यों की समय से पदोन्नति नहीं हो पाती है। संस्था द्वारा समय-समय पर अनेक पत्राचार किये गये एवं वार्तायें में भी हुई परन्तु परिणाम संतोषजनक नहीं रहे।

संस्था के संज्ञान में आया है कि शासन द्वारा राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा नियमावली 2014 दिनांक 17 फरवरी 2014 को जारी की गयी है, जिसमें राजस्व निरीक्षक एवं लेखपालों के मध्य 1:10 के अनुपात में पदों के वृद्धि किये जाने का समावेश नहीं किया गया है जबकि शासन स्तर से सहमति भी हो चुकी थी और तदनुसार ही मा0 परिषद से नियमावली का आलेख शासन द्वारा मांगा गया था, परन्तु खेद है कि इसका अनुपालन न करके अपितु लेखपाल संवर्ग के पदोन्नति कोटे में और अधिक कटौती कर दी गयी है तथा राजस्व निरीक्षक के पूर्व से रिक्त लगभग 800 पदों पर लेखपाल संवर्ग से पदोन्नति की प्रक्रिया विगत

शेष पृष्ठ-2-पर